

राजस्थान –सरकार  
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर


क्रमांक:— एफएसएटी/स्थापना/2021/217

दिनांक:— 12.11.2021

—: कार्यालय आदेश :-

कार्यालय हाजा में कार्यरत श्री सेवक कुमार मेघवंशी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ने दिनांक 01.09.2021 को पुत्र प्राप्ति होने के कारण दिनांक 15.11.2021 से 29.11.2021 (15 दिवस) तक का पितृत्व स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन-पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किये।

दस्तावेज का सत्यापन किया गया। अतः श्री सेवक कुमार मेघवंशी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, को राजस्थान सेवा नियम के नियम 103ए के अन्तर्गत दिनांक 15.11.2021 से 29.11.2021 तक कुल 15 दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है। कर्मचारी के उक्त अवकाश का इन्द्राज सर्विस बुक में नियमानुसार किया जाएगा।




रजिस्ट्रार  
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण,  
जयपुर

क्रमांक:—एफएसएटी/स्थापना/2021/218-219

दिनांक:— 12.11.2021

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है:—

1. श्री सेवक कुमार मेघवंशी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय हाजा।
2. रक्षित पत्रावली।



रजिस्ट्रार  
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण,  
जयपुर

Aspit Saccene